२०11/7295
18/7/11

दिनांक 15.07.2011 को 11 बजे पूर्वाहन् में सचिव, कल्याण विभाग की अध्यक्षता में झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची के निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः—

1. श्री एल० खियांग्ते, सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰।
2. श्री दीपक सिंह, विशेष सचिव, कल्याण विभाग/आदिवासी कल्याण आयुक्त (प्रभार में)
3. श्री कमल किशोर सोन, उपायूक्त, राँची।
4. श्री राकेश कुमार, उपायुक्त, खूँटी।
5. श्री के०श्रीनीवासन, उपायुक्त, प० सिंहभूम।
6. श्री बबन चौबे, उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम।
7. श्री सीताराम बारी, उप विकास आयुक्त, सरायकेला खरसाँवा।
8. श्री सोमा सिंह मुण्डा, सहायक निदेशक, कल्याण शोध संस्थान, सह मनोनीत सदस्य।
9. श्री गुरूचरण सिंह मुण्डा, मनोनीत सदस्य।
10. डॉ॰ प्रकाश चन्द्र उराँव, राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे॰टी॰डी॰एस॰।

बैठक में उपस्थित सभी आगंतुक सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰ द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ एवं संचालन करने का निदेश राज्य कार्यक्रम निदेशक को दिया गया।

उपस्थित सदस्यों के अभिवादन के उपरांत, निदेशक मंडल के बैठक की अध्यक्षता कर रहे सचिव, कल्याण विभाग के निदेशानुसार राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे॰टी॰डी॰एस॰ द्वारा कार्यावली में उल्लेखित बिन्दुओं पर चर्चा प्रारंभ की गई।

कार्यावली संख्याः 1

दिनांक 20.04.2010 को झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची के निदेशक मंडल की बैठक में निदेशित बिन्दुओं पर अनुपालन को निदेशक मंडल द्वारा सम्पुष्ट किया गया।

कार्यावली संख्याः 2

ईफाड की विगत समीक्षा मिशन दल (अगस्त 2010) द्वारा किए गए अनुशंसा एवं अनुपालन।

निदेशक मंडल द्वारा ईफाड की विगत समीक्षा मिशन दल द्वारा किए गए अनुशंसा के संबंध में बिन्दुवार चर्चा की गई एवं अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया गया।

उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सुझाव दिया गया कि जे.टी.डी.एस. द्वारा अब तक कराए गए भूमि एवं जल प्रबंधन संबंधि कार्यों की ग्रामवार सूची संबंधित जिलों के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करा देना श्रेयष्कर होगा ताकि कार्यों का duplication नहीं हो सके एवं इसका गलत फायदा भविष्य में किसी विभाग/एजेंसी द्वारा नहीं उठाया जा सके। निदेशक मंडल ने इस पर सहमति व्यक्त किया। निदेशक द्वारा जे.टी.डी.एस. की ग्रामवार कार्य विवरण सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। साथ ही जे.टी.डी.एस. के वेबसाईट पर भी ग्रामवार भूमि एवं जल प्रबंधन कार्य का विवरण Upload कराने का आश्वासन दिया गया।

कार्यावली संख्याः 3

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2010–11 के Re-appropriation एवं वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2011–12 को निदेशक मंडल द्वारा सर्व सम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

कार्यावली संख्याः 4

कार्यक्रम के प्रथम चरण को एक वर्ष के अवधि विस्तार मिलने के विषय पर सचिव कल्याण विभाग द्वारा निदेशक मंडल को जानकारी दी गई। जे.टी.डी.एस. को ईफाड से वार्त्ता एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2011–12 को आवश्यकतानुसार Re-appropriation एवं संशोधन करा कर अनुमोदन प्राप्त करने का सुझाव दिया गया, जिससे विस्तारित अवधि में बचे हुए कार्यों को पूर्णता प्रदान की जाए। सचिव द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त एवं उपस्थित उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि झारखण्ड आदिवासी विकास कार्यक्रम से आच्छादित ग्रामों में विशेष तौर पर अन्तर विभागीय समन्वय/Convergence के माध्यम से सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित कराने हेतु विशेष ध्यान दी जाए।

कार्यावली संख्याः 5

कार्यक्रम के द्वितीय चरण हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा केन्द्र सरकार एवं ईफाड को समर्पित प्रस्ताव पर निदेशक मंडल ने विचार विमर्श किया। निर्णय लिया गया कि द्वितीय चरण में लिए जाने वाले प्रस्तावित जिलों की सूची में जामताड़ा जिले को भी शामिल कर लिया जाए साथ ही द्वितीय चरण की स्वीकृत परियोजना लागत 240 करोड़ रूपये (50 million USD) के अलावा 20 million USD का अतिरिक्त प्रस्ताव भी ईफाड एवं आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाए।

कार्यावली संख्याः 6

सोसाईटी में कार्यरत कर्मियों के सेवा विस्तार एवं वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई–

(i) कर्मियों को देय 5% वार्षिक वेतन वृद्धि।

(ii) देय वेतन का 20% वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2011 की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

कार्यावली संख्याः 7

अन्य बिन्दु अध्यक्ष की सहमति से।

(i) श्री मनोज सिन्हा को उप कार्यक्रम निदेशक पद पर प्रोन्नत एवं नामित करने के निर्णय पर निदेशक मंडल ने सर्व सम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया।

(ii) कार्यक्रम अवधि विस्तार के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम से खाद्यान्न आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में ईफाड द्वारा दिए गए सुझाव पर निदेशक मंडल ने विचार विमर्श किया एवं मनरेगा के तहत् भूगतेय मजदुरी को जे.टी.डी.एस. के कार्यक्रम ग्रामों में प्रति मानव दिवस/ प्रति चौका के हिसाब से लागू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ग्राम विकास कोष में जमा करने हेतु प्रस्तावित 10/- (रूपये दस) प्रति मानव दिवस/प्रति चौका की दर से प्रावधान करने पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। ये भी निर्णय लिया

गया कि तत्काल कार्यक्रम के प्रथम चरण में लाभूक अंशदान/भागीदारी के प्रतिशत को यथावत रखा जाए।

(iii) सचिव कल्याण विभाग सह अध्यक्ष जे.टी.डी.एस. द्वारा निदेशक मंडल को ये सूचित किया गया कि जे.टी.डी.एस. का वर्त्तमान कार्यालय, जो भाड़े के मकान से संचालित हो रही है, के संबंध में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा संबंधित मकान मालिक को आवासीय भवन के व्यावसायिक अथवा अन्य कार्यालय कार्य हेतु इस्तेमाल नहीं करने एवं ऐसी स्थिति में भवन को सील करने के नोटिस देने के आलोक में जे.टी.डी.एस. कार्यालय को यथाशीघ्र झारखण्ड जनजातिय कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी के परिसर में स्थित पुराने संग्रहालय भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

(iv) राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा निदेशक मंडल से अनुरोध किया गया कि चूँकि कार्यालय के वाहन लगभग नौ वर्ष पुराने हो गए है जिसके रख–रखाव/मरम्मति में अधिक व्यय हो रही है। अतः नए वाहन क्रय करने पर स्वीकृति प्रदान की जाए जिससे द्वितीय चरण हेतु प्रारंभिक तैयारी से संबंधित कार्यों हेतु संथाल परगना के सुदुर क्षेत्रों के भ्रमण में सहुलियत होगी।

इस पर निदेशक मंडल ने तत्काल भाड़े पर अच्छे वाहन लेकर कार्य संचालन करने का सुझाव दिया। साथ ही नए वाहन का प्रस्ताव अगले निदेशक मंडल की बैठक में देने का सुझाव दिया गया।

(v) सचिव कल्याण विभाग सह अध्यक्ष जे.टी.डी.एस. द्वारा कार्यक्रम आच्छादित ग्रामों में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तावित Grain Bank की स्थापना करने की इच्छा अभिव्यक्ति के संबंध में सूचना दी गई। निदेशक मंडल ने इस मॉडल को जे.टी.डी.एस. के माध्यम से कार्यक्रम आच्छादित ग्रामों में लागु कराने पर सहमति व्यक्त किया ताकि इस मॉडल के सफल होने पर राज्य सरकार इसे अन्य ग्रामों में लागु करने पर विचार कर सके।

(vi) उपायुक्त, राँची द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वय समिति कि बैठकों में संबंधित जिलों के ITDP निदेशक (जिनकी जिलों में पदस्थापना कुछ माह पूर्व हुई है) को भी आमंत्रित करने का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव पर निदेशक मंडल ने सहमति व्यक्त किया।

18/07/11

(एल० खियांग्ते)
सचिव, कल्याण विभाग

ज्ञापांक 4/आईफाड–05/09 – 1639 दिनांक 18/07/11

प्रतिः सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/7/11

सचिव, कल्याण विभाग